International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8, Issue 6, June - 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

बाल अपराध : कारण एवं निवारण

डॉ0 अनामिका सिंह
एम० ए० (मनोविज्ञान), पी–एच० डी०
मुजफ्फरपुर, बिहार

सार :

प्रकृत शोधालेख की स्पष्टता हेतु बाल अपराध से सम्बन्धित तथ्यों की यहाँ संक्षिप्त चर्चा अपेक्षित है। किसी बालक के द्वारा कानून–विरोधी या समाज–विरोधी कृत कार्य को बाल अपराध की संज्ञा दी गयी है। कानूनी दृष्टिकोण से 8 वर्ष से अधिक एवं 16 वर्ष से कम आयु का बालक जब कानून–विरूद्ध आचरण करता, तब उसे न्यायालय में उपस्थित किया जाता है, भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 (संशोधित 2000) के आधार पर 16 वर्ष की अवस्था के लड़कों तथा 18 वर्ष तक की अवस्था की लड़कियों के अपराध को बाल अपराध की कोटि में शामिल किया गया है।

भूमिका :

बाल अपराध के स्वरूप तथा बाल अपराधियों की आयु में स्थान एवं परिस्थिति सापेक्षता पायी जाती है। बाल अपराध के प्रमुख उदाहरण हैं–विलम्ब रात तक घर से बाहर घूमना, स्कूल नहीं जाना, कक्षा में सहपाठियों के प्रति आक्रामक व्यवहार का प्रर्दशन करना, स्कूल में अनुशासनहीनता का परिचय देना, शिक्षक की अनुमति के बिना स्कूल से भागना, चोरी करना, हिंसा करना, तथा यौन अपराध करना । हावर्ड बेकर (1966) के अनुसार बाल अपराध के चार प्रकार हैं – वैयक्तिक बाल अपराध, समूह समर्थित बाल अपराध, संगठित बाल अपराध और स्थितिजन्य बाल अपराध।

सामाजिक एवं पारिवारिक रोग बाल अपराध से सभी लोग काफी परेशान हैं। बाल अपराधियों के समाज–विरोधी विभिन्न दुर्व्यवहारों तथा बाल अपराध के बढ़ते आंकड़ों से परिवार और समाज में चिन्ता व्याप्त है। लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक अपराध करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इसकी छानबीन के पश्चात् कहा है कि जन्म के समय बच्चे अपराधी नहीं होते हैं। सामाजिक कुव्यवस्था इन्हें अपराधी बनाती है। लेकिन इस हेतु अनुंवशिकता भी उत्तरदायी है। बाल अपराध के प्रमुख कारण निम्नलिखित है :–

(क) शारीरिक कारण – शारीरिक कारण के अन्तर्गत अनुवंशिकता, शारीरिक दोष, शारीरिकगठनात्मक सिद्धान्त तथा बीमारियों का विवेचन किया गया है। थार्नडाइक (1932) और स्वार्ज (1940) के अनुसार ''बाल अपराध का प्रमुख कारण अनुवंशिकता है।''[1] इनका मानना है कि अपराधी माता–पिता के बच्चे भी अपराधी होते हैं। स्कूलसिंगर (1988) ने एक उदाहरण के द्वारा उक्त कथन की

पुष्टि की है।[2] लोमब्रोसो (1870) ने शारीरिक दोष को बाल अपराध का कारण बताया है। उनके अनुसार ''अपराधियों का शारीरिक गठन समान्य लोगों से भिन्न होता है।''[3] अपराध करने में लंगड़ापन, बहरापन, अन्धापन आदि की विशेष सक्रियता होती है। इन दोषों की वजह से बच्चे समाज में उपहास के पात्र बनते है। फलस्वरूप सामान्य लोगों के प्रति इनमें प्रतिशोध की भावना पैदा होती है तथा ये इनसे बदला लेने का दृढ़ निश्चय कर अपराध में लिप्त हो जाते हैं। शरीर गठनात्मक सिद्धांत विलियम शेल्डन के द्वारा प्रतिपादित है । उनका मत है कि मेसोमौर्फिक संरचना वाले बालक प्रायः नाजुक तथा कमजोर मांसपेशियों वाले बालक की उपेक्षा ज्यादा अपराध करते हैं। कुछ बीमारियाँ बालकों में अपराधी प्रवृत्ति को जन्म देती है।[4] विशेषकर Encephalitices के कारण बालकों के चिड़चिड़ापन में वृद्धि हो जाती है। फलतः वे अपराध करना आरंभ कर देते हैं।[5]

(ख) पारिवारिक कारण – बच्चों को अपराधी बनाने में पारिवारिक कारण विशेष रूप से उत्तरदायी हैं। विघटित परिवार के बच्चे समाजीकरण के अभाव में अपराधी हो जाते हैं। अनैतिक पारिवारिक वातावरण भी बच्चों को अपराध के लिए प्रेरित करता है। फलतः बच्चे चोरी करते हैं पाकिटमार होते हैं, जुआ खेलते है और शराब पीते हैं।[6] बच्चों के प्रति माता–पिता का दुर्व्यवहार भी उन्हें अपराधी बनाने में सहायक होता है। उनके द्वारा तिरस्कृत वे अपराधियों के चंगुल में फस जाते हैं। उनके अत्यधिक लाड़–प्यार तथा सुरक्षा के कारण उनमें धीरे–धीरे अपराध की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। पारिवारिक दोषपूर्ण अनुशासन से भी वे अपराधी ही बनते हैं। सौतेली माँ तथा बाप ये दोनों उन्हे अपराधी बनाने में सहायक होते हैं।

(ग) सामाजिक कारण – दूषित सामाजिक परिवेश बच्चों को अपराधी बनाने में विशेष सहायक होते हैं। जैसे–बुरी संगति, उद्देश्यहीन शिक्षा, मनोरंजन के स्वस्थ साधनों का आभाव, रुग्ण पड़ोस, अश्लील साहित्य की उपलब्धता तथा आपराधिक गतिविधियों से युक्त सिनेमा।[7] बुरी पारिवारिक स्थिति बच्चों में अपराधी कार्य करने की प्रेरणा जगाती है।[8] प्रायः बाल अपराधी में निर्धन परिवार के ही बच्चों की संख्या अधिक पायी जाती है। गरीबी इन्हें अपराध हेतु प्रोत्साहित करती है। Bonger के अनुसार प्रत्यक्षतः आर्थिक स्थिति ही एकमात्र अपराध प्रवर्त्तक कारण है।[9] निर्धन व्यक्ति अपनी आवष्यकताओं की पूर्त्ति हेतु अपराध की शरण लेता है।[10]

(घ) मनोवैज्ञानिक कारण – बाल अपराध के मनोवैज्ञानिक कारण बच्चों में मानसिक संघर्ष तथा मानसिक उद्वेग को उत्पन्न करते हैं। बाल अपराध के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारण है–बुद्धि की कमी, संवेगात्मक अस्थिरता तथा संघर्ष मनोस्नायु विकृति, मनोविकृति एवं मनोविकृत व्यक्तित्व ।

बाल अपराध का निवारण

बच्चे राष्ट्रहित के भावी कर्णधार होते हैं। उनकी प्रतिकूलता से राष्ट्र संकटग्रस्त हो जाता है। स्वस्थ तथा स्वच्छ बच्चे ही युवा बनकर देश के सर्वांगीण विकास में सक्रिय सहभागिता निभाते हैं। उन्हें अपराधी बनने से रोकना सभी का दायित्व होता है।

उचित पारिवारिक सम्बन्ध बच्चों को अपराधी बनने से रोकता है। इसके निवारण हेतु उचित पारिवारिक अनुशासन की भी अनिवार्यता है। शान्तिमय घर इसे पनपने नहीं देता है। बच्चों की संगति भी अच्छे बच्चों से होनी चाहिए। स्कूल के उचित वातावरण तथा अनुशासन से बच्चों को अपराधी बनने से रोका जा सकता है। खेल तथा मनोरंजन के उचित साधनों के प्रबन्ध से वे अपराध की ओर अन्मुख नहीं हो पाते हैं। माता–पिता इन्हें दूरदर्शन के अवांछित दृश्यों को देखने तथा अश्लील साहित्य को पढ़ने से रोकें। बाल अपराध को रोकने के लिए सरकार तथा सामाजिक संगठनों की सक्रियता अनिवार्य है। बाल अपराधों के निवारण में सुधार गृहों, बाल न्यायालयों, उत्तर–रक्षा संस्थाओं, पोषणगृहों, सहायक गृहों, प्रमाणित विद्यालयों, किशोर सुधार केन्द्रों एवं सुधारालयों की महती भूमिका है ।

निष्कर्ष

इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिन कारणों से बच्चें अपराधी बनते हैं, उन कारणों का निवारण करके ही इन्हें अपराधी बनने से रोका जा सकता है। फलतः राष्ट्र की भलाई के भावी अंकुर स्वच्छ तथा स्वस्थ बन सकते हैं।

सन्दर्भ :

1. शिक्षा मनोविज्ञान, अरुण कुमार सिंह, भारती भवन, पटना, संस्करण : 2000, पृ० 568 ।
2. वही, पृ० 568 ।
3. वही, पृ० 568 ।
4. असामान्य मनोविज्ञान, नगीना प्रसाद –मुहम्मद सुलैमान, पृ० 371 ।
5. वही, पृ० 371 ।
6. वही, पृ० 371 ।
7. वही, पृ० 373–374 ।
8. शिक्षा मनोविज्ञान, अरुण कुमार सिंह, पृ० 570 ।
9. Bonger & Criminality and Economic Condition , P. 139 .
10. अपराध और दण्डशास्त्र–कौशल कुमार राय, चौखम्बा, विद्याभवन, वाराणसी, संस्करण : प्रथम वि० संवत् सं० 2022, पृ० 82 ।
11. असामान्य मनोविज्ञान, नगीना प्रसाद, मुहम्मद सुलैमान, पृ० 375–377 ।